

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 13/2022

वादपत्र अं. धारा 88, 93 आरटीए

सावन माही पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान साकिम कीकरवाली तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- दादी

बनाम्



1. मोहम्मदीन पुत्र मोहम्मद सलाम
2. साबर अली पुत्र मोहम्मद सलमान
3. कलवन्त सिंह पुत्र श्री सजन सिंह
4. नक्षत्र सिंह पुत्र श्री सजन सिंह
5. महगा पुत्र वली मोहम्मद
6. मोहम्मद रसीद पुत्र अहमदीन
7. साबर अली पुत्र मोहम्मद सलाम
8. हुसैन खों पुत्र नूर मोहम्मद
9. हुसैन मोहम्मद पुत्र इब्राहिम
10. सावन पुत्र मुनीर
11. सलमान खों पुत्र नूर मोहम्मद
12. मोहम्मद सलाम पुत्र स्व. वली मोहम्मद जाति समस्त मुसलमान
13. रफीका पुत्री अमीरदीन सकनाएँ कीकरवाली
14. अदरीश पुत्र स्व. यासीन तहसील संगरिया
15. मोहम्मद सलाम पुत्र नूर मोहम्मद जिला हनुमानगढ़ (राज.)
16. मीरन खों पुत्र नूर मोहम्मद
17. मीना पत्नी इमाम हुसैन
18. महगा खों पुत्र वली मोहम्मद
19. मन्जुर पुत्र अमीरदीन
20. बाग अली पुत्र बशीर खों
21. फिरोज खों पुत्र इमाम हुसैन
22. नूरनवी पुत्र इब्राहिम
23. नूरहसन पुत्र वली मोहम्मद
24. नूर अहमद पुत्र अमीरदीन
25. जमीला पत्नी मोहम्मद सलाम
26. जैना पत्नी बशीर खों
27. इमाम हुसैन पुत्र वली मोहम्मद
28. इमरान खान पुत्र इमाम हुसैन
29. अरयाल खों उर्फ इरमाईल खों पुत्र बशीर खों
30. अलीशेर पुत्र मुनीर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

- 31 अरसा बीबी पुत्री नूर हसन
- 32 सुबा सादक पुत्र स्व अमीन
- 33 हाजी फारुक पुत्र नूर मोहम्मद
- 34 अल्ला रखा पुत्र मोहम्मद सलाम
- 35 अलादिता पुत्र उस्मान
- 36 अलाबवश पुत्र उस्मान
- 37 अहमददीन पुत्र कायम खान
- 38 आरफा बीबी पत्नी रफान मोहम्मद
- 39 खान मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद
- 40 जुनाब अली पुत्र हुसैन मोहम्मद
- 41 फते मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद
- 42 सादक अली पुत्र स्व. भूरान
- 43 मंगा खों पुत्र बली मोहम्मद
- 44 मोहम्मद रजाक पुत्र शाह मोहम्मद
- 45 मोहम्मद हनीफ पुत्र कायम खों
- 46 मोहमदीन पुत्र कायम खों
- 47 रामकिशन पुत्र जयमल
- 48 वीर सिंह पुत्र जयमल
- 49 मशुक पुत्र स्व. सुल्तान
- 50 साबर अली पुत्र उस्मान
- 51 लेखूमल पुत्र हरीमल जाति सिंधी निवासी सांभर झील तहसील व जिला बीकानेर (राज.)
- 52 भारतीय स्टेट बैंक शाखा लीलावाली जरिये शाखा प्रबन्धक।
- 53 तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

जाति समस्त मुरालमान  
सकनाए कीकरवाली  
तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ (राज.)

— प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :-

1. श्री महावीर बैरड - वकील वादीगण
2. एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक :- 6.8.2024

वादी सावन माही ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 53 के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं खाता तकसीम के तहत दिनांक 12.01.2023 को इस न्यायालय में पेश किया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 63/38 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 206/2896 हिस्सा अर्थात् 0.206 है. कृषि भूमि, इसी चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 40/30 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 506/8487 हिस्सा अर्थात् 0.506 है. कृषि भूमि तथा तहसील हनुमानगढ के चक 1 के.के.डब्ल्यू. के खाता सं. 29/121 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में प्रतिवादी सं. 1 के

महायुक्त कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

नाम से 0.6325 है। कृषि भूमि तथा प्रतिवादी सं. 2 के नाम से 51265/18974 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 63/38 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 206/2896 हिस्सा अर्थात् 0.206 है। कृषि भूमि, इसी चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 40/30 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 506/8487 हिस्सा अर्थात् 0.506 है। कृषि भूमि तथा तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 के.के.डब्ल्यू. के खाता सं. 29/121 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.6325 है। कृषि भूमि तथा प्रतिवादी सं. 2 के नाम से 51265/18974 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। लेकिन वादी की अन्य प्रतिवादीगण के साथ बंटवारा के रोज से ही चक 1 के.के.डब्ल्यू. के खाता सं. 29/121 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में वादी की 1.012 है। कृषि भूमि पर कब्जाकाशत रही है। बंटवारा के रोज से ही वादी उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी रोक-टोक व बिना किसी बाधा के काशत करता चला आ रहा है। कब्जाकाशत बाबत किसी भी सहखातेदार व सहकाशतकारान के साथ किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। वादी सहखातेदारान व सहकाशतकारान के साथ हुए बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है :-

(क) वादी सावन माही पुत्र वली मोहम्मद के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 1 के.के.डब्ल्यू. खाता संख्या 29/121 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
140/205	41	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 10,11,20/0.253 है.प्र.
		कुल 1.012 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रति.सं. 1 मोहम्मदीन पुत्र मोहम्मद सलाम के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 8 एम.एम.के. खाता संख्या 40/30 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
135/196	18	15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.
136/196	19	11/0.253 है.
		कुल 0.506 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 2 साबर अली पुत्र मोहम्मद सलमान के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 8 एम.एम.के. खाता संख्या 63/38 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

उपस्थित अधिकारी  
संगरिया

प.नं.

136 / 198

मु.नं.

43

कि.नं.

7 / 0.253 है., 14 / 0.051 है.

कुल 0.304 है. कृषि भूमि

वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की सांझा खाता की कृषि भूमि है। जिसका घरु विभाजन काश्त की सुविधानुसार वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार कर लिया है। मुताबिक घरु विभाजन वादी चक 1 के.के.डब्ल्यू. के खाता सं. 29/121 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में वादी की 1.012 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवा अपना हिस्सा बढ़वा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन करवाना चाहता है तथा तहसील संगरिया के चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 63/38 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में प्रतिवादी सं. 1 को 0.304 है. कृषि भूमि का एवं इसी चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 40/30 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में प्रतिवादी सं. 2 को 0.506 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवा वादी अपना नाम कलमजन करवाना चाहता है तथा बंटवारानुसार ही वादी वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार अपनी कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। वादी विभाजन में प्राप्त वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार कृषि भूमि की घोषणा करवा खाता अलग करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादी बंटवारा के रोज से ही वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णितानुसार कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि की कब्जाकाश्त बाबत् किसी भी सहखातेदारान व सहकाश्तकारान के साथ कोई विवाद नहीं है परन्तु वाटरमेन्ट शुल्क, माली रकम आदिराज्य सरकार को अदा करने में अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा सीव बट को लेकर भी आपस में लड़ाई झगड़े का अनदेशा रहता हैं। इस कारण वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 51 से वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार मानते हुए वादी का खाता अलग कायम करवाने का प्रतिवादीगण से निवेदन किया, तो पहले तो प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे लेकिन गत् सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये, बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 51 की तलबी पूर्व में हो चुकी है। वादी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु अन्तिम सूचना जरिये दैनिक सामाचार पत्र करवाने का निवेदन किया, न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। इसके बावजूद प्रतिवादीगण सं. 1 ता 51 न्यायालय में हाजिर नहीं आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र के समर्थन में वादी द्वारा साक्ष्य के तौर पर चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 63/38 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 इसी

जयपुर जिला न्यायालय  
उपवाइ अधिकारी  
संगरिया

चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 40/30 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 के.के.डब्ल्यू. के खाता सं. 29/121 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 की प्रति पेश की। प्रार्थना पत्र पेश तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ से कब्जा काश्त रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ ने अपने पत्रांक/भू.अ./2024/1283 दिनांक 28.03.2024 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई जो शामिल पत्रावली है तथा तहसीलदार (राजस्व) संगरिया ने अपने पत्रांक/भू.अ./2024/2671 दिनांक 12.07.2024 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई जो शामिल पत्रावली है

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सह काश्तकार है। प्रतिवादीगण सं. 1ता 51 को न्यायालय में हाजिर नहीं आये है इसलिए इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अन्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए वकील वादी ने तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ से प्राप्त कब्जा काश्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने का कथन किया।

बहस एकपक्षीय पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 63/38 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 इसी चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 40/30 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 के.के.डब्ल्यू. के खाता सं. 29/121 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 एवं तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ की रिपोर्ट के अवलोकन से यह साबित है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नहीं है एवं उक्त खाता अपवादित भी है। वादी ने अन्य सहकाश्तकारान के साथ अच्छी मन्दी अनुसार बंटवारा कर लिया था तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादी काश्त करता चला आ रहा है। वादी का कब्जाकाश्त बाबत अन्य किसी भी सहकाश्तकारान के साथ कोई विवाद नहीं है। वर्तमान में भी कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद सामने नहीं आया है। प्रतिवादी सं. 1ता 51 बावजूद सूचना न्यायालय में हाजिर नहीं आये है। प्रकरण में अन्य कोई विरोध सामने नहीं आया है। तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग से कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**-:: क्रियात्मक आदेश ::-**

अतः उक्त विवेचना के आधार पर वादीगण का वादपत्र तहसीलदार (राजस्व) संगरिया/हनुमानगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है

**चक 8 एमएमके के खाता संख्या 40/30 में कुल 8.4870 हैं मौके पर कब्जा काश्त की भूमि:-**

1	मोहम्मद रसीद पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान सा. किकरवाली
प.न.	मु.न. किला नं.
134/198	41 24/2/0.100 है
135/198	42 12/2/0.114 हैं 12/3/0.013 हैं गै.मु रास्ता

संगरिया  
उपजम्ह-अधिकारी  
संगरिया

19/1/0.228 हैं 19/2/0.025 हैं 22/1/0.139 है.  
22/2/0.025 हैं गै.मु रास्ता  
कुल 0.644 है नहरी मय गै.मु

2 हुसैन खां पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलामन सा. किकरवाली  
प.न. मु.न. किला नं.  
136/196 19 18,23,24/0.253 हैं प्र  
135/196 18 2,3/0.253 हैं प्र 7/0.063 हैं 16/1/0.228 हैं  
16/2/0.025

3 अरसा बीबी पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान सा. किकरवाली  
प.न. मु.न. किला नं.  
136/196 19 19,20/0.253 हैं प्र कुल 0.506 है नहरी  
ईमाम हुसैन पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान सा. किकरवाली  
प.न. मु.न. किला नं.

5 मंहगा खां पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान सा. किकरवाली  
प.न. मु.न. किला नं.  
136/196 19 12,13/0.253 हैं प्र कुल 0.506 है नहरी  
135/196 18 13,14/0.253 हैं प्र कुल 0.506 है नहरी

6 नूरहसन पुत्र वली मोहम्मद 0.253 हि नाबालिग सलमान खान पुत्र नूरहसन  
सरपस्त माता नूरसैन 0.316 हैं जाति मुसलमान सा. किकरवाली  
प.न. मु.न. किला नं.  
136/196 19 17/0.253 हैं  
135/196 18 8/0.063 है 9/0.253 हैं कुल 0.569 है नहरी

7 सावन माही पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान सा. किकरवाली  
प.न. मु.न. किला नं.  
136/196 19 11/0.253 हैं  
135/196 18 15/1/0.228 हैं 15/2/0.025 हैं गै.मु खाला  
कुल 0.506 है नहरी मय गै.मु

8 जमीला पत्नी मोहम्मद सलाम जाति मुसलमान सा. किकरवाली  
प.न. मु.न. किला नं.  
136/196 19 14/0.253 हैं  
135/196 18 7/0.063 हैं 8/0.190 हैं कुल 0.506 है नहरी

9 मीना पत्नी इमाम हुसैन, नाबालिग फिरोज खान पुत्र इमाम हुसैन नाबालिग  
इमरान खान पुत्र इमाम हुसैन सरपस्त माता मीना पत्नी इमाम हुसैन बहिब  
जाति मुसलमान सा. किकरवाली  
प.न. मु.न. किला नं.

10 ईस्माइल खां, बाग अली पुत्र बशीर, जैना पत्नी बसीर खां बहिब जाति  
मुसलमान साकिन कीकरवाली  
प.न. मु.न. किला नं.

136/196 19 8/0.253 है, 9/0.253 है.  
135/196 18 6/1/0.057, 6/2/0.006 है.गै.मु. खाला  
7/0.127 है.

मु.न. किला नं.  
गै.मु. खाला  
मंजीया

- कुल 0.696 है. नहरी मय गै.मु।
11. सावन खां 0.359 हि अली शेर 0.168 हि. मोहम्मद रमजान 0.675 हि. पि मुनीर खां जाति मुसलमान साकिन कीकरवाली
- | प.न.    | मु.न. | किला नं.                                |
|---------|-------|---|
| 136/196 | 19    | 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.गै.मु. खाला |
| 135/196 | 18    | 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.गै.मु. खाला |
|         |       | 6/1/0.171, 6/2/0.019 गै.मु.खाला,        |
|         |       | 17,18/0.253 है.प्र.                     |

- कुल 1.202 है. नहरी मय गै.मु।
12. हुसैन मोहम्मद पुत्र इब्राहिम जाति मुसलमान सा. किकरवाली
- | प.न.    | मु.न. | किला नं.                           |
|---------|-------|------------------------------------|
| 136/196 | 19    | 2/1/0.228, 2/2/0.025 है.गै.मु.खाला |
|         |       | कुल 0.253 है.                      |

- अमीन खां पुत्र अमीरदीन जाति मुसलमान सा. किकरवाली
- | प.न.    | मु.न. | किला नं.                   |
|---------|-------|----------------------------|
| 135/196 | 18    | 4/0.253 कुल 0.253 है. नहरी |

14. यासीन खां पुत्र अमीरदीन जाति मुसलमान साकिन किकरवाली
- | प.न.    | मु.न. | किला नं.   |
|---------|-------|--|
| 136/196 | 19    | 1/1/0.228, 1/2/0.025 है.गै.मु.खाला कुल 0.253 है. |


नोट :-खाता सं. 63/38 का विभाजन प्रस्ताव दावा सं. 301/2022 बलविन्द्रसिंह बनाम कुलवन्तसिंह में भिजवा दिया गया है जिसका निर्णय दिनांक 07/06/2024 को हो गया है।

तहसील हनुमानगढ के चक नं. 1 के.के.डब्ल्यू खाता सं. 29/121 में कुल 9.487 है. कृषि भूमि की कब्जा काश्त की भूमि :-

1. शायरा बीबी पत्नी सावन माही जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया खातेदार प.नं. 140/205 मु.नं. 41 कि.नं. 1/1/0.177, 1/2/0.025 कुल 0.2020 है. मय गै.मु. खाला।
2. साबर अली पुत्र मोहम्मद सलाम जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया खातेदार प.नं. 140/205 मु.नं. 41 कि.नं. 1/2/0.0510, कि.नं. 10/0.253 कुल 0.304 है.।
3. मोहम्मदीन पुत्र मोहम्मद सलाम जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया खातेदार प.नं. 140/205 मु.नं. 41 कि.नं. 11,20/0.506 है.।
4. खान मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया खातेदार प.नं. 140/205 मु.नं. 41 कि.नं. 9,12,19/0.7590 है.।
5. अहमददीन पुत्र कायम खां जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया खातेदार प.नं. 139/204 मु.नं. 36 कि.नं. 14,18,25/0.7590 है.।
6. जनाब अली पुत्र हुसैन मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया खातेदार प.नं. 140/204 मु.नं. 35 कि.नं. 22/0.253, प.नं. 140/205 मु.नं. 41 कि.नं. 2/0.253 है. 0.506 है. मय गै.मु. खाला।

महाराष्ट्र सरकार  
पर्यावरण अधिकारी

7. मंगा खां पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया खातेदार प.नं. 140/204 मु.नं. 35 कि.नं. 19,20,21/0.7590 है. प.नं. 139/205 मु.नं. 40 कि.नं. 5,6,15/0.7590 है. कुल 1.5180 है. मय गै.मु. रास्ता खाला।
8. हनीफ खां पुत्र कायम खां जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया खातेदार प.नं. 139/204 मु.नं. 36 कि.नं. 22/0.126, कि.नं. 20,23,24/0.7590 कुल 0.8850 है।
9. मोहम्मदीन पुत्र कायम खां जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया खातेदार प.नं. 139/204 मु.नं. 36 कि.नं. 16/0.2530 है.0 मय गै.मु. रास्ता।
10. फतेह मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया खातेदार प.नं. 141/205 मु.नं. 42 कि.नं. 1,10,11/0.7590 है. कुल 0.7590 है।
11. मोहम्मद रमजान पुत्र शाह मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया खातेदार प.नं. 141/205 मु.नं. 42 कि.नं. 2,9/0.5060 है. प.नं. 141/204 मु.नं. 34 कि.नं. 22/0.253 है. कुल 0.7590 है।
12. अल्लादिता पुत्र उस्मान जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया खातेदार प.नं. 141/205 मु.नं. 42 कि.नं. 12,19/0.2530 है.प्र., 22/0.1270 है. कुल 0.6330 है।
13. आरफा बीबी पत्नी सुभान जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया खातेदार प.नं. 141/205 मु.नं. 42 कि.नं. 22/0.1260 है. कुल 0.1260 है।
14. अल्लाबकश पुत्र उस्मान जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया खातेदार प.नं. 141/204 मु.नं. 34 कि.नं. 20,21/0.506 है. मय गै.मु. खाला।
15. अल्लारखा पुत्र मोहम्मद सलाम जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया खातेदार प.नं. 141/204 मु.नं. 34 कि.नं. 19/0.253 है।
16. यासीन पुत्र हुसैन खां जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया खातेदार प.नं. 141/206 मु.नं. 51 कि.नं. 1/0.253 है. 2/0.126 है. कुल 0.3790 है. मय गै.मु. रास्ता।
17. सुब्बा सादक पुत्र नूरनबी जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया खातेदार प.नं. 141/206 मु.नं. 51 कि.नं. 2/0.1270 है. मय गै.मु. रास्ता।
18. नूर अहमद, नजीर पि0 शरीफ जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया खातेदार प.नं. 141/206 मु.नं. 51 कि.नं. 9/0.253 है।  
अली मोहम्मद पुत्र मोहम्मदीन, अहमददीन पुत्र युसुफ, भूरान पुत्र सुलेमान, रामकिशन पुत्र जयमल सिंह, वीरसिंह पुत्र जयमलसिंह, शकुरमोहम्मद पुत्र सुहारा, सुल्तान पुत्र सुलेमान, सुलेमान पुत्र उस्मान जाति मुसलमान साकिन कीकरवाली के नाम कब्जा काश्त के अभाव में राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन करने के आदेश दिये जाते हैं।



संगरिया  
ऑफिसर  
संगरिया

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी / प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावे।

निज...निल...मुब्लिक...निल...बाबत...निल...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( राकेश कुमार मीना )  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
संगरिया

डिब्री वमुक्तमे ईबदाई  
अआदेश 20 नियम 6-7 व्या प्रक्रिया संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर ए एम)  
प्रकरण संख्या :- 13/2022

सावन माही पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन कीकरवाली तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़ (राज)

- दादी

बनाम

1. मोहम्मदीन पुत्र मोहम्मद सलाम
2. साबर अली पुत्र मोहम्मद सलमान
3. कलवन्त सिंह पुत्र श्री सजन सिंह
4. नक्षत्र सिंह पुत्र श्री सजन सिंह
5. महमा पुत्र वली मोहम्मद
6. मोहम्मद रसीद पुत्र अहमदीन
7. साबर अली पुत्र मोहम्मद सलाम
8. हुसैन खॉ पुत्र नूर मोहम्मद
9. हुसैन मोहम्मद पुत्र इब्राहिम
10. सावन पुत्र मुनीर
11. सलमान खॉ पुत्र नूर मोहम्मद
12. मोहम्मद सलाम पुत्र स्व. वली मोहम्मद
13. रफीका पुत्री अमीरदीन
14. अदरीश पुत्र स्व. यासीन
15. मोहम्मद सलाम पुत्र नूर मोहम्मद
16. मीरन खॉ पुत्र नूर मोहम्मद
17. मीना पत्नी इमाम हुसैन
18. महंगा खॉ पुत्र वली मोहम्मद
19. मन्जुर पुत्र अमीरदीन
20. बाग अली पुत्र बशीर खॉ
21. फिरोज खॉ पुत्र इमाम हुसैन
22. नूरनवी पुत्र इब्राहिम
23. नूरहरान पुत्र वली मोहम्मद
24. नूर अहमद पुत्र अमीरदीन
25. जमीला पत्नी मोहम्मद सलाम
26. जैना पत्नी बशीर खॉ
27. इमाम हुसैन पुत्र वली मोहम्मद
28. इमरान खान पुत्र इमाम हुसैन
29. अरयाल खॉ उर्फ इरमाईल खॉ पुत्र बशीर खॉ
30. अलीशेर पुत्र मुनीर

जाति समस्त मुसलमान

सकनारें कीकरवाली

तहसील संगरिया

जिला हनुमानगढ़ (राज)



सहायक न्यायालय एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

31. अरसा बीबी पुत्री नूर हसन
32. सुबा सादक पुत्र स्व. अमीन
33. हाजी फारुक पुत्र नूर मोहम्मद
34. अल्ला रखा पुत्र मोहम्मद सलाम
35. अलादिता पुत्र उस्मान
36. अलाबक्श पुत्र उस्मान
37. अहमददीन पुत्र कायम खान
38. आरफा बीबी पत्नी सुभान मोहम्मद
39. खान मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद
40. जुनाब अली पुत्र हुसैन मोहम्मद
41. फते मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद
42. सादक अली पुत्र स्व. भूरान
43. मंगा खॉ पुत्र बली मोहम्मद
44. मोहम्मद रजाक पुत्र शाह मोहम्मद
45. मोहम्मद हनीफ पुत्र कायम खॉ
46. मोहमदीन पुत्र कायम खॉ
47. रामकिशन पुत्र जयमल
48. वीर सिंह पुत्र जयमल
49. मशुक पुत्र स्व. सुल्तान
50. साबर अली पुत्र उस्मान
51. लेखूमल पुत्र हरीमल जाति सिंधी निवासी सांभर झील तहसील व जिला बीकानेर (राज.)
52. भारतीय स्टेट बैंक शाखा लीलावाली जरिये शाखा प्रबन्धक।
53. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

जाति समस्त मुसलमान  
सकनाएँ कीकरवाली  
तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़ (राज.)

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं० धारा 88,53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 6.8.2004

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बैरड़ अभिभाषक वादी मिन जामिन मुदई व एकपक्षीय प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुस्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :-

चक 8 एमएमके के खाता संख्या 40/30 में कुल 8.4870 हैं मौके पर कब्जा काश्त की

भूमि:-

- |   |  |       |  |
|---|--|-------|--|
| 1 | मोहम्मद रसीद पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान सा. कीकरवाली | मु.न. | किला नं.   |
|   | प.न.   | 41    | 24/2/0.100 है  |
|   | 134/198  | 42    | 12/2/0.114 हैं 12/3/0.013 हैं गै.मु रास्ता                               |
|   | 135/198  |       | 19/1/0.228 हैं 19/2/0.025 हैं 22/1/0.139 है. 22/2/0.025 हैं गै.मु रास्ता |
|   |  |       | कुल 0.644 हैं नहरी मय गै.मु  |

राजस्व अधिकारी  
संगरिया

- 2 हुसैन खां पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलामन सा. किकरवाली  
 प.न. मु.न. किला नं.  
 136/196 19 18,23,24/0.253 हैं प्र  
 135/196 18 2,3/0.253 हैं प्र 7/0.063 हैं 16/1/0.228 हैं  
 16/2/0.025 गै.मु खाला कुल 1.581 हैं नहरी मय गै.मु
- 3 अरसा बीबी पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान सा. किकरवाली  
 प.न. मु.न. किला नं.  
 136/196 19 19,20/0.253 हैं प्र कुल 0.506 हैं नहरी
- 4 ईमाम हुसैन पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान सा. किकरवाली  
 प.न. मु.न. किला नं.  
 136/196 19 12,13/0.253 हैं प्र कुल 0.506 हैं नहरी  
 मंहगा खां पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान सा. किकरवाली  
 प.न. मु.न. किला नं.  
 135/196 18 13,14/0.253 हैं प्र कुल 0.506 हैं नहरी  
 नूरहसन पुत्र वली मोहम्मद 0.253 हि नाबालिग सलमान खान पुत्र नूरहसन सरपस्त  
 माता नूरसैन 0.316 हैं जाति मुसलमान सा. किकरवाली  
 प.न. मु.न. किला नं.  
 136/196 19 17/0.253 हैं  
 135/196 18 8/0.063 है 9/0.253 हैं कुल 0.569 हैं नहरी
- 7 सावन माही पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान सा. किकरवाली  
 प.न. मु.न. किला नं.  
 136/196 19 11/0.253 हैं  
 135/196 18 15/1/0.228 हैं 15/2/0.025 हैं गै.मु खाला कुल 0.506 हैं  
 नहरी मय गै.मु
- 8 जमीला पत्नी मोहम्मद सलाम जाति मुसलमान सा. किकरवाली  
 प.न. मु.न. किला नं.  
 136/196 19 14/0.253 हैं  
 135/196 18 7/0.063 हैं 8/0.190 हैं कुल 0.506 है नहरी
- 9 मीना पत्नी इमाम हुसैन, नाबालिग फिरोज खान पुत्र इमाम हुसैन नाबालिग इमरान  
 खान पुत्र इमाम हुसैन सरपस्त माता मीना पत्नी इमाम हुसैन बहिब जाति मुसलमान  
 सा. किकरवाली  
 प.न. मु.न. किला नं.  
 136/196 19 7,10/0.253 हैं प्र कुल 0.506 हैं नहरी
- 10 ईस्माइल खां, बाग अली पुत्र बशीर, जैना पत्नी बसीर खां बहिब जाति मुसलमान  
 साकिन कीकरवाली  
 प.न. मु.न. किला नं.  
 136/196 19 8/0.253 है., 9/0.253 है.  
 135/196 18 6/1/0.057, 6/2/0.006 है.गै.मु. खाला 7/0.127 है.  
 कुल 0.696 है. नहरी मय गै.मु.।
11. सावन खां 0.359 हि. अली शेर 0.168 हि. मोहम्मद रमजान 0.675 हि. पि मुनीर खां  
 जाति मुसलमान साकिन कीकरवाली  
 प.न. मु.न. किला नं.  
 136/196 19 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.गै.मु. खाला



सहायक वीसिक्टर एवं  
 ज्य. ज. अ. अधिकारी  
 गंगौरिया

135/196 18

5/1/0228 है, 5/2/0025 है गै मु खाला  
6/1/0.171, 6/2/0019 गै मु खाला, 17.18/0.253 है प्र  
कुल 1.202 है नहरी मय गै मु।

- 12 हुसैन मोहम्मद पुत्र इब्राहिम जाति मुसलमान सा किकरवाली  
पन मुन किला न.  
136/196 19 2/1/0.228, 2/2/0.025 है गै मु खाला कुल 0.253 है.
- 13 अमीन खा पुत्र अमीरदीन जाति मुसलमान सा. किकरवाली  
पन मुन किला न.  
135/196 18 4/0.253 कुल 0.253 है. नहरी  
यासीन खा पुत्र अमीरदीन जाति मुसलमान साकिन किकरवाली  
पन मुन किला न.  
186/196 19 1/1/0.228, 1/2/0.025 है गै मु खाला कुल 0.253 है.

नोट :-खाता सं. 63/38 का विभाजन प्रस्ताव दावा सं. 301/2022 बलविन्द्रसिंह  
पुलवन्तसिंह में भिजवा दिया गया है जिसका निर्णय दिनांक 07/06/2024 को हो  
गया है।

तहसील हनुमानगढ के चक न. 1 के के डब्ल्यू खाता सं. 29/121 में कुल 9.487 है. कृषि  
भूमि की कब्जा काश्त की भूमि :-

- 19 शायरा बीबी पत्नी सावन माही जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया  
खातेदार प.न. 140/205 मुन. 41 कि.नं. 1/1/0.177, 1/2/0.025 कुल 0.2020 है.  
मय गै मु खाला।
- 20 साबर अली पुत्र मोहम्मद सलाम जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया  
खातेदार प.न. 140/205 मुन. 41 कि.नं. 1/2/0.0510, कि.नं. 10/0.253 कुल 0.304  
है।
- 21 मोहम्मदीन पुत्र मोहम्मद सलाम जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया  
खातेदार प.न. 140/205 मुन. 41 कि.नं. 11.20/0.506 है।
- 22 खान मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया  
खातेदार प.नं. 140/205 मुन. 41 कि.नं. 9.12,19/0.7590 है।
- 23 अहमददीन पुत्र कायम खां जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया खातेदार  
प.न. 139/204 मुन. 36 कि.नं. 14.18,25/0.7590 है।
- 24 जनाब अली पुत्र हुसैन मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया  
खातेदार प.न. 140/204 मुन. 35 कि.नं. 22/0.253, प.नं. 140/205 मुन. 41 कि.नं.  
2/0.253 है. 0.506 है. मय गै मु खाला।
- 25 मगा खां पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया खातेदार  
प.नं. 140/204 मुन. 35 कि.नं. 19.20,21/0.7590 है. प.नं. 139/205 मुन. 40 कि.नं.  
5.6,15/0.7590 है कुल 1.5180 है. मय गै मु रास्ता खाला।
- 26 हनीफ खां पुत्र कायम खां जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया खातेदार  
प.न. 139/204 मुन. 36 कि.नं. 22/0.126, कि.नं. 20.23,24/0.7590 कुल 0.8850 है।
- 27 मोहम्मदीन पुत्र कायम खां जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह. संगरिया खातेदार  
प.न. 139/204 मुन. 36 कि.नं. 16/0.2530 है 0 मय गै मु रास्ता।

संगरिया  
किकरवाली  
नगरिया

28. फतेह मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह संगरिया खातेदार प.नं. 141/205 मु.नं. 42 कि.नं. 1,10,11/0.7590 है. कुल 0.7590 है।
29. मोहम्मद रमजान पुत्र शाह मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह संगरिया खातेदार प.नं. 141/205 मु.नं. 42 कि.नं. 2,9/0.5060 है. प.नं. 141/204 मु.नं. 34 कि.नं. 22/0.253 है. कुल 0.7590 है।
30. अल्लादिता पुत्र उरमान जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह संगरिया खातेदार प.नं. 141/205 मु.नं. 42 कि.नं. 12,19/0.2530 है. प्र. 22/0.1270 है. कुल 0.6330 है।
31. आरफा बीबी पत्नी सुभान जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह संगरिया खातेदार प.नं. 141/205 मु.नं. 42 कि.नं. 22/0.1260 है. कुल 0.1260 है।
32. अल्लाबवश पुत्र उरमान जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह संगरिया खातेदार प.नं. 141/204 मु.नं. 34 कि.नं. 20,21/0.506 है. मय गै.मु. खाला।
33. अल्लारखा पुत्र मोहम्मद सलाम जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह संगरिया खातेदार प.नं. 141/204 मु.नं. 34 कि.नं. 19/0.253 है।
34. यासीन पुत्र हुसैन खां जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह संगरिया खातेदार प.नं. 141/206 मु.नं. 51 कि.नं. 1/0.253 है. 2/0.126 है. कुल 0.3790 है. मय गै.मु. रास्ता।
35. सुब्बा सादक पुत्र नूरनबी जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह संगरिया खातेदार प.नं. 141/206 मु.नं. 51 कि.नं. 2/0.1270 है. मय गै.मु. रास्ता।
36. नूर अहमद, नजीर पि० शरीफ जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तह संगरिया खातेदार प.नं. 141/206 मु.नं. 51 कि.नं. 9/0.253 है।

अली मोहम्मद पुत्र मोहम्मदीन, अहमददीन पुत्र युसुफ, भूरान पुत्र सुलेमान, रामकिशन पुत्र जयमल सिंह, वीरसिंह पुत्र जयमलसिंह, शकुरमोहम्मद पुत्र सुहारा, सुल्तान पुत्र सुलेमान, सुलेमान पुत्र उरमान जाति मुसलमान साकिन कीकरवाली के नाम कब्जा काश्त के अभाव में राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ के पत्रांक/भूअ./2024/1283 दिनांक 28.03.2024 तथा तहसीलदार (राजस्व) संगरिया के पत्रांक/भूअ./2024/2671 दिनांक 12.07.2024 द्वारा भिजवाई रिपोर्ट को निर्णय एवं डिक्री का भाग माना जावेगा।

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार (राजस्व) संगरिया/हनुमानगढ़ की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावे।

निज  निल  मुद्लिक  निल  बाबत  निल  खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की ताशीख वसूलयाबी तक  को अदा करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

यह डिक्री बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 08.08.24 को जारी किया गया।

( राकेश कुमार मीना )  
सहायक, कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिवासी संगरिया  
संगरिया